न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 49 / 2020 — दर्ज दिनांक : 02.07.2020

1. राजस्थान सरकार — बनाम — इरफान अंसारी आदि

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–पैरोकार राज
प्रतिवादीः–श्री सुरेन्द्र राहड़

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

: निर्णय :

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि

1. खसरा संख्या 2911 / 2327 तादादी 0.6244 हैक्ट. रोही मोजा चूरू बाबत उक्त वाद / प्रा. पत्र लाया गया है जिसमें साबिक खसरा संख्या जो 2327 / 123 है। में इसी अनुवान का वाद प्रार्थना–पत्र लाया गया था जो प्रकरण इसी अनुवान का दिनांक 30.03.2017 को हल्का पटवारी व तहसीलदार वादी की रिपोर्ट को गलत मानते हुए खारिज फरमाया गया था इस कारण पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर लाया गया उक्त गलत प्रार्थना–पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।
2. पूर्व में जो बिन्दु अदालतनवाला द्वारा इन्हीं पक्षकारान के बीच समान था निर्धारित कर दिया होने से दुबारा वादधार प्राप्त नहीं रहता है इस कारण भी दावा / याचिका चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा खारिज फरमाया जावे।

3. पत्रावली में पैरोकार राज द्वारा दिनांक 22.12.2020 से आदेश–07 नियम–11 प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली सीधे बहस में नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अनुवान राजस्थान सरकार बनाम इरफान आदि अनुवान संख्या 74 / 2014 निर्णय दिनांक 30.03.217 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें पटवारी हल्का कस्बा चूरू की रिपोर्ट एवं तहसीलदार चूरू की लिखित बहस से स्पष्ट होता है चूंकि उक्त वादगत कृषि भूमि को वर्तमान में खातेदार द्वारा कृषि उपयोग में ही लिया जा रहा है। इसलिए प्रकरण में धारा 177 के तहत कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होने से पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। प्रतिवादी ने खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष [illegible] (संवत् 2082) खसरा संख्या 2911 / 2327 जिसमें 0.0600 हैक्ट. में [illegible] संलग्न की है। वर्तमान वाद Res Judicata के सिद्धांत से बाधित है। अतः वादी [illegible] प्रस्तुत दावा काबिले खारिज योग्य है।
4. वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश [illegible] नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर विचार किया गया। जिसके माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी का कथन प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने प्रार्थना–पत्र में निम्न आधार प्रस्तुत किये कि वादगत भूमि खसरा संख्या 2911/2327 (पूर्व खसरा संख्या 2327/123) के संबंध में पूर्व में इसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 30.03.2017 को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद का पूर्व में निस्तारण हो चुका है, अतः वर्तमान वाद Res Judicata के सिद्धांत से बाधित है। पूर्व निर्णय में यह पाया गया कि भूमि खातेदार द्वारा कृषि उपयोग में ली जा रही है, अतः धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2025 (सम्वत् 2082) की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भूमि पर वर्तमान में भी कृषि कार्य (चौला बोया जाना) जारी है। अतः वाद को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाए। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को दिनांक 22.12.2020 से बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा वादी का जवाब बन्द कर पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। न्यायालय का विश्लेषण Order 7 Rule 11 का दायरा यह स्थापित विधि है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत केवल वादपत्र के कथनों का परीक्षण किया जाता है। तथापि, यदि वाद स्पष्ट रूप से किसी विधिक बाधा (bar of law) से ग्रसित हो, तो उसे प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जा सकता है। पूर्व निर्णय का प्रभाव प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट है कि समान भूमि के संबंध में समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद पर दिनांक 30.03.2017 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें वाद को खारिज किया गया था। Res Judicata का सिद्धांत जब किसी वाद में वही पक्षकार, वही विषय–वस्तु, वही विवाद पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका हो, तो उसी विषय पर पुनः वाद प्रस्तुत करना Res Judicata के सिद्धांत से प्रतिबंधित होता है। उपस्थित प्रकरण में उक्त सभी तत्व विद्यमान प्रतीत होते हैं। वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना, वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद प्रार्थना–पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतिवादी के कथनों का प्रभावी खंडन नहीं हो सका। पूर्व निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया था कि वादगत भूमि खातेदार द्वारा कृषि उपयोग में ली जा रही है तथा धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनः उसी आधार पर वाद प्रस्तुत करना न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद समान विवाद पर पुनः प्रस्तुत किया गया है। वाद Res Judicata के सिद्धांत से बाधित है। वाद प्रथम दृष्टया विधि अनुसार ग्राह्य (Maintainable) नहीं है। वाद कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः

आदेश है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 23.03.2026 को मेरे द्वारा इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)